हुक्म

15/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा [illegible] / P.O. सा० [illegible] में [illegible] होने से जनसुनवाई [illegible] नहीं हो सकी [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 29.7.24 को पेश हो।

[illegible] रीडर

29/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आपत्ति पत्र धारा-5 एवं मूल अपील पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश दिनांक: 30-7-2024 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपीलान्ट अपील दाखिल नहीं होने से खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल हुआ। होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 30/7/24
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:– 01/2023
प्रकरण दायर दिनांक:–18.08.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 30.07.2024

उनवान

1. हरिमोहन पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह. बसवा हाल तह. बाँदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. नारायणी पत्नि बाल्या
2. धर्मसिंह पुत्र बाल्या
3. ज्ञानसिंह पुत्र बाल्या
   जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह. बसवा जिला दौसा
4. ग्राम पंचायत आभानेरी हाल ग्राम पंचायत भाण्डेडा पंचायत समिति बांदीकुई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भाण्डेडा पंचायत समिति बाँदीकुई

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक: 14.04.1966

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 इस आशय का पेश किया कि अपीलांट के पिता हरसहाय पुत्र लाला की खातेदारी की भूमि स्थित ग्राम हरिपुरा तहसील सवा की बाबत नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 की तस्दीक की जानकारी तारीख दिनांक: 7.02.2023 को होने पर दिनांक: 24.02.2023 को नकल मिलने पर बेजा नामान्तकरण आज्ञा के विरूद्ध ानकारी से अंदर मियाद अपील पेश किया जाना आवश्यक आया है। ग्राम पंचायत आभानेरी की ाज्ञा दिनांक: 14.04.1966 विरूद्ध विधि विधान न्याय प्रक्रिया होने की गरज से चलने योग्य नहीं है ाबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पिता को सुने बिना ही नामान्तकरण आज्ञा प्राकृतिक याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध नामान्तकरण तस्दीक फरमाया गया है जो क़ानूनन लने योग्य नहीं है। बाल्या व बाल्या के वारिसान का उक्त आराजी खसरा नंबर 73 रकबा 3 बीघा 6 बीस्वा एवं खसरा नंबर 78 रकबा 2 बीघा 16 बीस्वा से कोई लेना देना नहीं रहा है। आराजी की ातेदारी हरसहाय पुत्र लाला, रामधन, श्योजी, मूल्या पिसरान मांग्या साकिन देह के नाम दर्ज रही । रामधन ने श्योजी मूल्या द्वारा पेशकर्ता दावा इस्तकरार हक व पाबंदी बाबत खातेदारी प्रार्थी पीलांट के पिता व बाल्या के विरूद्ध पेश किया गया है जिसमें हरसहाय खातेदार के विरूद्ध कोई नुतोष भी नहीं चाहा गया है। हरसहाय को सुने बिना इकतरफा कार्यवाही के बाद बिना एकतरफा सूखी के दावा बरूये राजीनामा डिक्री करना बताया है, जबकि अपीलांट का पिता कभी न्यायालय में या ही नहीं साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे में कोई अनुतोष हरसहाय के विरूद्ध चाहा गया ऐसी सूरत में राजीनामा व डिक्री फर्जकारी कर बनाई गई है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा नं. 159 से 163 से बाल्या का कोई लेना देना नहीं रहा है तो फिर भी बेजा नमान्तकरण के आधार पर नामान्तकरण आज्ञा ग्राम पंचायत द्वारा जारी फरमाई गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं. 32 दिनांकः 14.04.1966 ग्राम पंचायत आभानेरी को खारिज फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जर्ये नोटिस विधिवत की गई। रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोन्डेन्ट्स सं. 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोन्डेन्ट्स सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 लगायत 3 की ओर जवाब अपील/लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम जवाब प्रार्थना पत्र/लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थना पत्र दफा 05 एवं मूल प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। रेस्पोन्डेन्ट वकील द्वारा लिखित बहस पेश की गई हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 32 दिनांकः 14.04.1966 ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बॉदीकुई के निर्णय दिनांकः 02.08.1965 की पालना में दर्ज किया जाना प्रकट है। अपीलान्ट के पिता तथा स्वयं अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बॉदीकुई के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं करने से न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांकः 02.08.1965 अंतिम हो जाता है। अतः अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण सं. 32 दिनांकः 14.04.1966 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विधि संगत प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की इतनी लम्बी समयावधि तक जानकारी नहीं होना भी आधारहीन प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत आभानेरी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बॉदीकुई के निर्णय की पालना में उक्त नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जो विधि संगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

30/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner